*संसदअधिकारी (िच8क०सा सुिवधा) िनयम, 1993

सा0 का0 िन0 282(अ)- के3ं ीयसरकार, संसद अधिकारी वेतन और भ9ा अिधिनयम, 1953 (1953 का 20) क8 धारा 7 के साथप ठत धारा 11 ारा ःद9 शि य का ःयोग करते ॐए, रा3य-सभा के सभापित औरलोक सभा के अ0य ं से परामश्र करके, संसद के अधिका रय और उनके कुटु ब केसद य को िन:शु5क िच8क०सीय प रचया और उपचार ःदान 8कए जाने का िविनयमन करनेके िलए िन ितिलखत िनयम बनाती है, अथा्रत्:-

1. संि ं नाम औरःार भ-

(1) इिनियम का संि ं नाम संसद अधिकारी (िच8क०सा सुिवधा) िनयम, 1993 है।

(2) येराजप मःकाशन क8 तारीख को ःवृ9 ह गे।

2. िच8क०सीय प रचया औरउपचार-

(1) संसदका अिधकारी और उसके कुटु ब के सद य, उस पैमाने और उन शत पर, जो अिखल भारतीय सेवा (िच8क०सीय प रचया) िनयम, 1954 के अधीन अिखल भारतीय सेवा के सद य औरउनके कुटु ब के सद य को लागू ह., िन:शु5क िच8क०सीय प रचया और उपचार केहकदार ह गे।

(2) भारतके बाहर कता॰ढ़ रहने के दौरान संसद का कोई अिधकारी भी िन:शु5क ऐसी िच8क०सीय प रचया और उपचार का हकदार होगा, जो उस थान पर भारतीय िमशन के ःधान कोअनुळ ोय हो।

टपण - इन िनयम के ःयोजन के िलए, "कुटु ब" कावही अथ होगा जो अिखल भारतीय सेवा (िच8क०सीय प रचया) िनयम, 1954 म प रभािषतहै।

3. िनरसन और ावृि9-से ेटरी ऑफ टे ॐस स वसेज (मैिडकल अटेड स) ॐ5स, 1938, जो अिधसूचना सं0 59(1)-ई0 वी0/53 (िव9 मं ालय), तारीख 17 अःैल, 1954 ारा संसद केअिधका रय को लागू ह., उन बात के िसवाय िनरिसत 8कए जाते ह., िज3ह इन िनयम के िनरसन से पूव 8कया गया था।

* भारत के राजप असाधारण भाग-2, ख ड-3, उप-ख ड (i) 8दनांक 15-3-1993मःकािशत।